हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

नवम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 84

सोमवार, 24 अगस्त, 2015/2 भाद्रपद, 1937(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 2.00 बजे (अपराह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में अपराह्न 2.00 बजे आरम्भ हुई ।

बैठक प्रारम्भ होते ही विपक्ष के सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि एक पुलिस अधिकारी जो हिमाचल प्रदेश सरकार का केन्द्रीय सरकार के एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट में डेपुटेशन पर गया हुआ है और वह हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री के प्रिंसीपल प्राईवेट सेक्रेटरी की इन्क्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, के बारे में मैंने नियम 67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव दिया है जिस पर पहले चर्चा की जानी चाहिए। इस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा कि यह notice मेरे पास आ गया है और यह मामला सरकार को उत्तर के लिए भेजा गया है जिसके उपरान्त मैं इस बारे कुछ निर्णय ले सकूंगा। इसके उपरान्त विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो गए और नारे लगाने शुरू कर दिए। माननीय अध्यक्ष ने शोरगुल के बीच प्रश्नकाल आरम्भ किया।

02-15-00 PM

प्रश्नोत्तरः

(I) तारांकित प्रश्नः

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 2027, तारांकित प्रश्न संख्या 2207, 2209, 2213, 2217, 2220 और 2225 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 1508, 1554, तारांकित प्रश्न संख्या 2208, 2210 से 2212 तक, 2214 से 2216 तक, 2218, 2219, 2221 से 2224 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 2226 से 2245 तक के उत्तर सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने अपराह्न 2.32 बजे सदन से वॉक-आउट किया)

(II) अतारांकित प्रश्नः

स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 795, 817, 830 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 970 से 985 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

03-00-00 PM

2. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्यः

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, ने सोमवार, 24 अगस्त, 2015 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

(अपराह्न 3.02 बजे विपक्ष के माननीय सदस्य पुनः सदन में उपस्थित हुए)

मुख्यमंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सरकारी भूमि पर अवैध कब्ज़ों बारे वक्तव्य दिया।

03-05-00 PM

3. कागजात सभा पटल परः

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नति (तृतीय संशोधन) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः पीईआर(एपी)-सी-ए(3)-2/2012 दिनांक 18-06-2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22-06-2015 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कम्प्यूटर ऑपरेटर, वर्ग-III (अराजपत्रित) सामान्य सीधी भर्ती और पदोन्नित (प्रथम संशोधन) नियम, 2015 जाकि अधिसूचना संख्याःपीईआर(एपी)-सी-ए(3)-1/2015 दिनांक 06-06-2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11-06-2015 को प्रकाशित;

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याःपर(एपी-बी)-ए(3)-5/2014 दिनांक 13-05-2015 23-06-2015 को प्रकाशित;

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के खण्ड (क) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (मैम्बरज़्) (चौबिसवां संशोधन) रेगुलेशनज़, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याःपर(एपी-बी)-ए(3)-11/2013 दिनांक 15.07.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.07.2015 को प्रकाशित; और

(v) हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के नियम 16 के उप-नियम 12 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड, हमीरपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15

(2) **श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री,** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी :-

(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2010-11 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 23(2) के अन्तर्गत बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14।

03-08-00 PM

4. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति (वर्ष 2015-16),** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **104वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **वित्त विभाग** (आधिक्य) से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **105वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 26वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा)भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **चिकित्सा शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **106वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 27वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्री कुलदीप कुमार, सदस्य कल्याण समिति, (वर्ष 2015-16)** ने समिति का **18वां मूल** प्रतिवेदन जाकि प्रदेश में संचालित उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए उद्यान मिशन के अन्तर्गत संरक्षित खेती योजना की संवीक्षा पर आधारित तथा **जनजातीय विकास विभाग** से सम्बन्धित है कि प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

03-10-00 PM

7. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः

डॉ0 राजीव बिन्दल ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

> "प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति की ओर **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करता हूं। "

श्री सुरेश भारद्वाज ने चर्चा में भाग लिया।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

03-400-00 PM

8. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्तावः

नियम-130 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव जिस पर दिनांक 21-08-2015 को विस्तृत चर्चा हुई, का माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने उत्तर दिया :-

"प्रदेश में हाल ही में भारी वर्षा व बादल फटने से हुई क्षति बारे यह सदन विचार करे।"

श्री महेन्द्र सिंह ने स्पष्टीकरण पूछा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने उत्तर दिया ।
श्री कर्ण सिंह ने स्पष्टीकरण पूछा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने उत्तर दिया।
श्रीमती सरवीन चौधरी ने स्पष्टीकरण पूछा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने उत्तर दिया ।

(सदन की बैठक अपराह्न 04.25 बजे मंगलवार, दिनांक 25 अगस्त, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई)